रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222325
CG-DL-E-09102020-222325

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3112] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942
No. 3112] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2020

सं. 39/2015–2020

विषयः– प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 3504(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 14.09.2020 की अधिसूचना सं. 31/2015–20 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 7 की क्रम सं. 52 के लिए **बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज** का निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक के लिए **10,000 मीट्रिक टन** की मात्रा तक अनुमत होगा।

बंगलौर गुलाबी प्याज का निर्यात

I. बंगलौर गुलाबी प्याज की निर्यात खेप को केवल चेन्नई पत्तन के माध्यम से अनुमति दी जाएगी और निर्यात 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए।

II. निर्यातक को बागवानी आयुक्त, कर्नाटक सरकार से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें निर्यात किए जाने वाले बंगलौर गुलाबी प्याज की मद और मात्रा को प्रमाणित किया गया हो।

III. प्रमाणपत्र को निर्यातक द्वारा अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, बंगलौर के कार्यालय में पंजीकृत कराया जाएगा।

4797 GI/2020

IV. अपर महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय, बंगलौर निर्यात के लिए अनुमत की जा रही कुल मात्रा को मॉनीटर करेगा और बागवानी आयुक्त, कर्नाटक सरकार द्वारा निर्यात के लिए अनुमत बंगलौर गुलाबी प्याज की मात्रा के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

V. चेन्नई पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी बागवानी आयुक्त के प्रमाणपत्र और अपर महानिदेशक विदेश व्यापार बंगलौर के कार्यालय से पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर बंगलौर गुलाबी प्याज के निर्यात को अनुमत करेंगे।

कृष्णापुरम प्याज का निर्यात

I. कृष्णापुरम प्याज की निर्यात खेप को केवल चेन्नई पत्तन के माध्यम से अनुमति दी जाएगी और निर्यात 31 मार्च, 2021 तक पूरा किया जाना चाहिए।

II. निर्यातक को सहायक निदेशक, बागवानी कडपा, आंध्र प्रदेश सरकार से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा जिसमें निर्यात के उद्देश्य से कृष्णापुरम प्याज की मात्रा को प्रमाणित किया गया हो।

III. प्रमाणपत्र को निर्यातक द्वारा ज़ोनल अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, चेन्नई के कार्यालय में पंजीकृत कराया जाएगा।

IV. ज़ोनल अपर महानिदेशक विदेश व्यापार का कार्यालय, चेन्नई निर्यात के लिए अनुमत की जा रही कुल मात्रा को मॉनीटर करेगा और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्यात के लिए जारी कृष्णापुरम प्याज की मात्रा के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

V. चेन्नई पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत सहायक निदेशक, बागवानी कडपा, आंध्र प्रदेश सरकार के प्रमाणपत्र और अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, चेन्नई के कार्यालय से पंजीकरण प्रमाणपत्र के आधार पर कृष्णापुरम प्याज के निर्यात को अनुमत करेंगे।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

बंगलौर गुलाबी प्याज और कृष्णापुरम प्याज (क्रम सं. 52, अध्याय 7) प्रत्येक की 10,000 मीट्रिक टन की मात्रा तक का निर्यात तत्काल प्रभाव से 31 मार्च, 2021 तक अनुमत किया गया है।

[फा. सं. 01/91/180/08/एएम–20/ईसी/भाग-ई-24164]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

No. 39/2015-2020

Subject: Amendment in Export Policy of Onions.

S.O. 3504(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), read with Paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby makes following amendment to the Notification No. 31/2015-20 dated 14.09.2020 relating to export of onion with immediate effect.

2. Export of **Bangalore Rose Onions and Krishnapuram Onions** against Serial No 52 of Chapter 7, ITC (HS) Export Policy, 2018 shall be allowed for export upto quantity of **10,000 MT** each, subject to the following conditions:

Export of Bangalore Rose Onions

I. The export shipment of Bangalore Rose Onion shall be allowed only through Chennai port and export to be completed by 31st March, 2021.

II. An exporter shall have to get a certificate from the Horticulture Commissioner, Government of Karnataka certifying the item and the quantity of Bangalore Rose Onion to be exported.

III. The certificate shall be registered by the exporter at the Office of Additional DGFT, Bangalore.

IV. The office of Additional DGFT, Bangalore shall monitor the total quantity being allowed for exports and issue registration certificate based on the quantity of Bangalore Rose Onion allowed for export by Horticulture Commissioner, Government of Karnataka.

V. The Customs Authorities at the Chennai port will allow export of Bangalore Rose Onion on the basis of Certificate from Horticulture Commissioner and registration certificate from Office of Additional DGFT, Bangalore.

Export of Krishnapuram Onions

I. The export shipment of Krishnapuram Onion shall be allowed only through Chennai port and export to be completed by 31st March, 2021.

II. An exporter shall have to get a certificate from the Assistant Director, Horticulture Kadapa, Government of Andhra Pradesh certifying the quantity of Krishnapuram Onion for export purpose.

III. The certificate shall be registered by the exporter at the Office of Zonal Additional DGFT, Chennai.

IV. The office of Zonal Additional DGFT, Chennai shall monitor the total quantity being allowed for exports and issue registration certificate based on the quantity of Krishnapuram Onion issued for export by Government of Andhra Pradesh.

V. The Customs Authorities at the Chennai port will allow export of Krishnapuram Onion on the basis of Certificate from Assistant Director, Horticulture Kadapa, Government of Andhra Pradesh and registration certificate from Office of Additional DGFT, Chennai submitted by the exporter.

3. **Effect of this Notification:**

Export of Bangalore Rose Onions and Krishnapuram Onions (Serial Number 52, Chapter 7), upto quantity of 10,000 MT each, has been allowed for the period upto 31st March, 2021, with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/08/AM-20/EC/Pt - E-24164]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Additional Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2020.10.09 15:57:02 +05'30'